अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
24 / 2021	26.02.2021	

बउनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्मण निवासी नीमसरा पटवार क्षेत्र ककरावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– वादी

बनाम

1. धनराज मुतवन्ना प्रहलाद जाति ब्राहम्मण निवासी नीमसरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 आर0टी0एक्ट0

निर्णय

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नीमसरा पटवार सर्कल ककरावदा तह0 पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में खातौली सं0 11 नयी पुरानी 6 ख0सं0 376 रकबा 2.56 है कृषि आराजी स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 7/8 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित कृषि आराजी को वाद पत्र में आगे वाद ग्रस्त कृषि आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि उक्त वर्णित कृषि आराजी वादी के पूर्वजों के समय से चली आ रही है। वादी का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है।

बजरंगलाल

रामकन्याबाई फौत	ओमप्रकाश	धनराज	मांगीबाई	गीताबाई
पत्नी	पुत्र	गोदपुत्र प्रहलाद	पुत्री	पुत्री

यह कि अभी भूमि बजरंगलाल के खाते में दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के बाद वादी एवं प्रतिवादी के खाते में दर्ज हुई है। प्रतिवादी क्रम 1 धनराज बाल्यावस्था से ही कुटुम्ब में प्रहलाद(लाऔलाद) के द्वारा गोदवाहन कर लिया गया है एवं उसके द्वारा स्व0 प्रहलाद की समग्रचल एवं अचल समात्तियों को बतौर गोद पुत्र धारित किया गया है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में ग्राम नीमसरा खातौली सं0 63 ख0स0 252/528 रकबा 2.80है0 का राजस्व रिकॉर्ड एवं स्व0 प्रहलाद द्वारा पंजीकृत गोदनामा प्रति दिनांक 07.03.1996 की प्रति प्रस्तुत की गई है एवं निवेदन किया है कि किसी भी व्यक्ति के अन्य जगह गोदपुत्र हो जाने

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

की स्थिति में हिन्दू दत्तक विधि के अनुसार उसके मूल परिवार में उसके अधिकार, दायित्व आदि समाप्त हो जाते हैं, एवं उक्त व्यक्ति नवीन परिवार में अपने अधिकारों, दायित्वों को प्राप्त कर लेता है, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में वादी के माता श्रीमति रामकन्याबाई पत्नि स्व0 बजरंगलाल के स्वर्गवास के पश्चात् अन्य वारिसान के साथ–साथ राजस्व प्राधिकारीगण द्वारा नामान्तरकरण सं0 201 सन् 2001 द्वारा उक्त प्रतिवादी कम 1 को उक्त राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड वर्णित कर दिया गया है, जो कि अनुचित एवं अवैधानिक कृत्य है। उक्त अनुचित अंकन को दुरूस्त करवाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्य सहखातेदारान वादी की बहिनों द्वारा वादी के पक्ष में हकत्याग त्याग कर दिया गया है। वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि का एकमात्र तनहा काबिजी स्वामी कृषक है एवं जरिये वाद पत्र प्रार्थना की है कि ग्राम नीमसरा पटवार सर्कल ककरावदा तह0 पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में खातौली सं0 11 नयी पुरानी 6 ख0सं0 376 रकबा 2.56है0 कृषि भूमि में वादी को एकमात्र तनहा खातेदार दर्ज किया जाकर प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/8 का नाम खातेदार से विलोपित किया जावे एवं तद्नुसार संशाधित अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड में उमल दरामद हेतु प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार पीपल्दा को जरिये डिकी आदेशित फरमाया जावे एवं प्रतिवादी कम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधिगण वादी की निहित वर्णित वाद ग्रस्त भूमि में वादी के शान्तिपूर्ण स्वामित्व में किसी प्रकार की कोई मदाखलत एवं मजाहमत नहीं करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों की तलबी की गई है। प्रतिवादी कम 2 राज्य शासन के प्रतिनिधि द्वारा कोई जवाब, साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। राज्यहित के विरूद्ध कोई प्रभावी रिलीफ नहीं चाही होने के कारण प्रतिवादी कम 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई एवं प्रतिवादी कम 1 धनराज की ओर से अधिवक्ता श्री गिर्राज कुशवाह द्वारा लिया जवाब (सहमतिपूर्ण) दिनांक 26.07.2022 को प्रस्तुत कर वाद पत्र को स्वीकार कर कोई प्रतिरोध नहीं किया गया है।

वाद पत्र जवाब एवं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र, साक्ष्य, प्रस्तुत का गहन अवलोकन किया गया। जमाबन्दी एवं राजस्व रिकॉर्ड, गोदनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी कम 1 धनराज द्वारा स्व0 प्रहलाद के गोदपुत्र के रूप में सम्पत्ति, कृषि भूमि धारित की हुई है, अतः उक्त व्यक्ति अपने मूल परिवार में कृषि भूमि धारित करने का पात्र नहीं रह जाता है। फलस्वरूप वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः वाद पत्र स्वीकार कर जरिये डिकी आदेशित किया जाता है कि ग्राम नीमसरा पटवार सर्कल ककरावदा तह0 पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में स्थित खातौली सं0 11 नई पुरानी 6 ख0सं0 376 रकबा 2.56है0 कृषि भूमि से प्रतिवादी कम 1 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त भूमि वादी के तनहा खातेदारी में दर्ज किया जाने का आदेश जरिये डिकी प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी कम 2 राज्य शासन उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीकम 1 का नाम विलोपित कर राजस्व रिकॉर्ड में उमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

उपखंड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखंड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

ओमप्रकाश पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्मण निवासी नीमसरा पटवार क्षेत्र ककरावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– वादी

बनाम

1. धनराज मुतबन्ना प्रहलाद जाति ब्राहम्मण निवासी नीमसरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. राज0 राज्य जयें तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हेमन्त शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू .... मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम नीमसरा पटवार सर्कल ककरावदा तह0 पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में स्थित खातौली स0 11 नई पुरानी 6 ख0सं0 376 रकबा 2.56है0 कृषि भूमि से प्रतिवादी कम 1 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त भूमि वादी के तनहा खातेदारी में दर्ज किया जाने का आदेश जरिये डिकी प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी कम 2 राज्य शासन उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादीकम 1 का नाम विलोपित कर राजस्व रिकॉर्ड में उमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखंड अधिकारी
इटावा जिला कोटा